(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी – R-3043-PBR/13

ओमप्रकाश सारस्वत पुत्र स्व. चौखेलाल

निवासी–ईशावास्यम्, 1, जयविलास परिसर,

रानी महल के समीप, नदीगेट लश्कर ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर
2. कृष्णकुमार सारस्वत पुत्र स्व. चौखेलाल शर्मा
   नारायण मंदिर के पीछे
   निवासी–छत्री बाजार, लश्कर ग्वालियर म0प्र0
3. विष्णु कुमार सारस्वत पुत्र स्व. चौखेलाल शर्मा
   निवासी–रॉयल रेजीडेन्सी, इन्दौर म.प्र.
4. महेश कुमार सारस्वत पुत्र स्व. चौखेलाल शर्मा
   निवासी–एम.वाय. हॉस्पीटल कैम्पस, इन्दौर म.प्र.
5. योगेन्द्र कुमार सारस्वत पुत्र स्व. ईश्वरीयप्रसाद
   निवासी–जमुना सदन, वजीरपुरा, आगरा उ.प्र.
6. देवेन्द्र कुमार सारस्वत पुत्र स्व. ईश्वरीय प्रसाद
   निवासी–खंदारी, आगरा उ.प्र.

तहसीलदार ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/12–13/अ–6–अ (पुराना नंबर 50/07–08 अ–6–अ) में की जा रहीं कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 09–07–2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 एवं धारा–08 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर तहसील कार्यवाही एवं आदेश से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

तथ्य:–

1. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण क्रमांक–2, 3, 4 के पिता स्व. श्री चौखेलाल ने अभिलिखित भूमि स्वामी सीमा से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी श्री चौखेलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3043/पीबीआर/13 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	